फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

कमला देवी बनाम कजोडी देवी वगै0

हमकीता पत्रावली कजोडी बनाम कमला देवी मु0न0 40/2025

किस्म मुकदमा–दावा

मु0नं0–29/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में आदेश दिनांक 16.06.2025 की पालना में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पत्रांक भू.अ./2025/944 दिनांक 17.06.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किए है। उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा 17.06.2025 को खसरा नम्बर 792 एवं 794 की हद तक तैयार किए गए है। खसरा नम्बर 798, 799, 1050 एवं 782 की हद तक तहसीदार बहरावण्डा द्वारा पूर्व में पत्रांक भू.अ./2025/768 दिनांक 20.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पूर्व में तैयार कर पेश किए जा चुके है। उभयपक्ष अधिवक्तागण के निवेदन पर बहस विभाजन प्रस्ताव सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा विभाजन प्रस्ताव सही होना जाहिर किया एवं अंतिम डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया। इसलिए तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा उक्त दोनों पत्रांक द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः खसरा नम्बर 798, 799, 1050 एवं 782 की हद तक पत्रांक भू.अ./2025/768 दिनांक 20.05.2025 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव तथा खसरा नम्बर 792 एवं 794 की हद तक पत्रांक भू.अ./2025/944 दिनांक 17.06.2025 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार बहरावण्डा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.)